

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक:- 44/अ-59/2017-18/

1382

बैतूल दिनांक 07/02/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 10 रा0 नि0 मं0 आमला तहसील आमला जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार आमला के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, आवेदकगण पूनम पति रामाधार भोयर, संध्या पति सुदामा भोयर, संगीता पति प्रहलाद भोयर, तारा पति रूपलाल भोयर, तथा राधा पिता रतन किराड़ द्वारा आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार पूर्व में मौजा निरीक्षण कर मौजा अम्बाड़ा तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 279 रकबा 0.113 हेक्टेयर का लेआउट तैयार कर प्रस्तुत किया गया, किन्तु उक्त संबंध में ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अतः अन्य रिक्त भूमि को आबादी घोषित किये जाने के लिए चयनित करने हेतु आवेदकगणों को मौखिक सूचना दिए जाने पर नायब तहसीलदार आमला, हल्का पटवारी, सरपंच ग्राम पंचायत अम्बाड़ा तथा अन्य ग्रामवासीगण मौके पर पहुँचे तथा मौजा अम्बाड़ा स्थित खसरा नंबर 186 रकबा 1.133 हेक्टेयर का चयन आबादी घोषित किए जाने के लिए किया गया है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार आमला द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा अम्बाड़ा तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 186 रकबा 1.133 हेक्टेयर मद चरनोई की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 2-10-2017 को आयोजित ग्रामसभा में मौजा अम्बाड़ा तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 186 रकबा 1.133 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा अम्बाड़ा तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 186 रकबा 1.133 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार उक्त खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(4)- प्रकरण में अंकित तहसीलदार आमला के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा अम्बाड़ा का मकबूजा रकबा 611.259 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 47.225 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में चरनोई का न्यूनतम रकबा 12.225 हेक्टेयर उपलब्ध होना अनिवार्य है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई के रकबे में से 1.133 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के उपरांत भी चरनाई का न्यूनतम रक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार आमला/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा मौजा अम्बाड़ा तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 186 रकबा 1.133 हेक्टेयर मद चरनोई को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो



प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए व्यवर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार आमला अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा अम्बाड़ा प. ह. नं. 10 तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 186 रकबा 1.133 हेक्टेयर मद चरनोई को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की



(मूलकन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 44/अ-59/2017-18/ 1382

बैतूल दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार आमला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत अम्बाड़ा जनपद पंचायत आमला की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

8/2/18